डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 03/2023-24 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फ़ाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/जीआईएएल/सीपी-III/2021-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

*****

आदेश संख्या 03/2023-24

Order No. 03/2023-24

ऐरा भवन/AERA Building,
प्रशासनिक परिसर/Administrative Complex,
सफदरजंग हवाईअड्डा/Safdarjung Airport,
नई दिल्ली/New Delhi 110 003.

जारी करने की तारीख/Date of Issue: 20th April, 2023

सेवाएं/ Services	:	कार्गो हैंडलिंग सेवाएं/ Cargo Handling Services (CHS)
सेवा प्रदाता/ Service Provider	:	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)/ Jaipur International Airport Limited (JIAL)
हवाईअड्डा/ Airport	:	जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर/ Jaipur International Airport Limited (JIAL)
हवाईअड्डा प्रचालक/ Airport Operator	:	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)/ Jaipur International Airport Limited (JIAL)

विषय : जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल) द्वारा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 30.09.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में/
Sub.: In the matter of Ad-hoc Tariff for Domestic Cargo Handling Services to be provided at Jaipur International Airport, Jaipur by Jaipur International Airport Ltd (JIAL) for the period from the date of Commercial Operations up to 30.09.2023.

1. जेआईएएल की प्रस्तुति

1.1 जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल) ने अपने दिनांक 10 मार्च, 2023 के पत्र संख्या जेआईएएल/सीओ/ऐरा-आईटी/2023/2 द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध किया कि जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उनकी प्रस्तावित अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में वह तदर्थ टैरिफ का अनुमोदन करें।

1.2 जेआईएएल ने आगे कहा है कि :

(i) इसने जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ 19.01.2019 को 50 वर्ष के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं और जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के हवाईअड्डा प्रचालक का कार्य स्वीकार कर लिया है। तदनुसार जेआईएएल ने हवाईअड्डे पर 11.10.2021 (सीओडी) से अपने हवाईअड्डा प्रचालन प्रारंभ कर दिए हैं। रियायत करार के खंड 19.4 के अनुसार जेआईएएल से अपेक्षित है कि वह हवाईअड्डे पर कार्गो सुविधाएं उपलब्ध करे। उपर्युक्त के अनुसरण में जेआईएएल ने जयपुर हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

(ii) वर्तमान में वह अपनी प्रस्तावित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 5 वर्ष (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027) की नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटीपी तैयार कर रही है और इसे यथासमय प्राधिकरण को प्रस्तुत कर देगी। प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह जयपुर हवाईअड्डे पर उनकी प्रस्तावित अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अन्य कार्गो रियायतग्राही अर्थात मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) के लिए लागू अनुमोदित टैरिफ (01.04.2023 की स्थिति के अनुसार) तदर्थ आधार पर लगाने की अनुमति प्रदान करें।

2. <u>प्राधिकरण द्वारा जेआईएएल के अनुरोध की जांच</u>

2.1 जेआईएएल की प्रस्तुति की प्रारंभिक समीक्षा करने पर प्राधिकरण नोट करता है कि जेआईएएल और एएआई के बीच किए गए रियायत करार के खंड 19.4 के अनुसार जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध करना आवयश्यक है।

2.2 प्राधिकरण को जेआईएएल की प्रस्तुति से यह ज्ञात होता है कि जयपुर हवाईअड्डे पर प्रस्तावित कार्गो प्रचालनों के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण सहायता प्रदान करने के लिए इसने तृतीय पक्षकार विक्रेता को नियुक्त किया है। इस स्थिति में प्राधिकरण को बाहरी स्रोत से लिए गए तृतीय पक्षकार विक्रेता के साथ किए गए हवाईअड्डा प्रचालक के करार और लक्ष्य प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले इसके वित्तीय प्रभावों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्राधिकरण जयपुर हवाईअड्डे पर हवाईअड्डा प्रचालक की कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में हवाईअड्डा प्रचालक के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करते समय इस बारे में विस्तार से विश्लेषण करेगा।

2.3 प्राधिकरण ने हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा जारी कार्य सौंपने संबंधी पत्र/करार से संबंधित दस्तावेज और उपर्युक्त तृतीय पक्षकार विक्रेता के पक्ष में विनियमित एजेंट (आरए) के संबंध में बीसीएसएएस के अनुमोदन की प्रति मांगी –

हवाईअड्डा प्रचालक ने दिनांक 28.03.2023 की ई-मेल द्वारा जेआईएएल द्वारा मैसर्स बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीएटीएस) के पक्ष में जारी दिनांक 25.02.2023 के कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए) संख्या एए/प्रोजेक्ट्स/2023-24/एलओए/जेआईएएल/01 और बीसीएएस के दिनांक 31.10.2022 के आदेश संख्या फाइल संख्या 15-51/116/2022-लखनऊ-बीसीएएस-खंड (1) (ई-217319) द्वारा बीएटीएस के पक्ष में जारी बीसीएएस की सुरक्षा अनुमति की प्रतियां पेश की। यह सुरक्षा अनुमति जारी किए जाने की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की अवधि या हवाईअड्डा प्रचालक के साथ संविदा की अवधि, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध है।

2.4 प्राधिकरण नोट करता है कि मैसर्स बीएटीएस ने हवाईअड्डों पर विनियमित एजेंट (आरए) के रूप में प्रचालन करने के लिए बीसीएएस की वैध सुरक्षा अनुमति प्राप्त की हुई है और इसे जेआईएएल द्वारा जयपुर हवाईअड्डे पर उनके कार्गो प्रचालनों के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2.5 प्राधिकरण ने 01.10.2020 से प्रभावी और 31.03.2024 तक वैध प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में दिनांक 01.09.2020 के आदेश संख्या 40/2020-21 द्वारा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अन्य कार्गो टर्मिनल प्रचालक अर्थात एएआईसीएलएएस द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए पहले भी टैरिफ निर्धारित की थी।

2.6 प्राधिकरण नोट करता है कि जेआईएएल द्वारा जयपुर हवाईअड्डे से संबंधित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए एमवाईटीपी प्रस्तुत करने और नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्रक्रिया पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए प्राधिकरण अंतरिम व्यवस्था के तौर पर जेआईएएल को अंतरदेशीय कार्गो प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से सेवाओं तक, जो भी पहले हो, अन्य कार्गो प्रचालक अर्थात एएआईसीएलएएस के लिए लागू जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मौजूदा अनुमोदित टैरिफ (01.04.2023 की स्थिति के अनुसार) के आधार पर उनके प्रस्तावित अंतरदेशीय कार्गो प्रचालनों के लिए तदर्थ टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।

2.7 जेआईएएल को सलाह दी जाती है कि वह जयपुर हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए ऐरा दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए एमवाईटीपी समय पर प्रस्तुत करें।

3. आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि :

(i) जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल) को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **(सीओडी) से 30.09.2023** तक, या **तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो** हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्राधिकरण के दिनांक 01.09.2020 के आदेश संख्या 10/2020-21 द्वारा अन्य कार्गो सेवा प्रदाता अर्थात एएआईसीएलएएस (01.04.2023 की स्थिति के अनुसार) के लिए यथा अनुमोदित टैरिफ तदर्थ आधार पर लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) यह आदेश जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रस्तावित कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रारंभ करने से पूर्व कार्गो टर्मिनल प्रचालक द्वारा संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर प्रभावी होगा।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ है। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार न लगाया जाए।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक ऐरा के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एमवाईटीपी समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री मनोज चांदुका, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
अदानी कॉरपोरेट हाऊस, शांतिग्राम,
वैष्णो देवी सर्किल के पास, एस.जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद- 382421

प्रतिलिपि: सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ